न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./5269/2017/कोटा

1– सतीश चन्द्र पुत्र श्री सूरजमल जाति अहीर, निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा
2– शशिकान्त पुत्र श्री सूरजमल की हद तक अपील विड्रो आदेश दिनांक 26.07.2024

–अपीलार्थी

बनाम

1– अरूण कुमार पुत्र श्री सूरजमल
2– हरिशचन्द्र पुत्र श्री सूरजमल जाति अहीर, निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा
3– सूरजमल पुत्र देवीलाल मृतक नामतर्क आदेश दिनांक 26.07.2024
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री विरेन्द्र सिंह पंवार, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10–09–2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–329/2015 बउनवानी सतीश बनाम अरूण कुमार में पारित निर्णय दिनांक 04–08–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजीयात खाता संख्या नये 584 पुराने 553 खसरा नम्बर 662 रकबा 6.78 हैक्टर के रिकार्डेड खातेदार सूरजमल पुत्र श्री भैरूलाल व सतीशचन्द, हरिशचन्द्र व शशिकान्त पुत्रान श्री सूरजमल जमाबन्दी सम्वत 2067 में दर्ज हैं। इस भूमि बाबत् सूरजमल पुत्र श्री देवीलाल द्वारा राजस्व कैम्प बडौद में विद्वान शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय के समक्ष दिनांक 29.5.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सूरजमल हिस्सा 1/2 व सतीश चन्द, हरिशचन्द, शशिकान्त

पुत्रान श्री सूरजमल हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थी काबिज है। उक्त प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर विद्वान तहसीलदार महोदय द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई कि मुताबिक वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बडौद सूरजमल पुत्र श्री देवीलाल जाति अहीर के चार पुत्र होना अंकित किया है किन्तु जमाबन्दी खाता संख्या 584 अनुसार तीन पुत्र ही दर्ज है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र अरूण कुमार का नाम दर्ज खाता नहीं है अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ दिनांक 10.6.2015 उक्त रिपोर्ट के नीचे विद्वान शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय द्वारा अंकित किया गया ''वाद अन्तर्गत धारा 88 दर्ज हो। वाद स्वीकार हो। 10.6.15'' यह अंकित कर दिनांक 10.06.2015 को लोक अदालत कैम्प कोटडा दीपसिंह में डिक्री जारी कर दी गई। उक्त डिक्री में उनवान अरुण कुमार पुत्र सूरजमल वादी एवं सूरजमल पुत्र देवीलाल सतीशचन्द, हरिशचन्द्र, शशिकान्त पुत्रान सूरजमल व राजस्थान सरकार प्रतिवादीगण अंकित कर दिये गए एवं निम्न प्रकार डिक्री जारी कर दी गई ''ग्राम बडौद तहसील दीगोद स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 662 रकबा 6.78 हैक्टर में वादी को प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 के साथ बराबर सह खातेदार घोषित किया जाता है।'' उक्त डिक्री के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट्स द्वारा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष अपील संख्या 15/329 बउनवानी सतीशचन्द वगेरह बनाम् अरूण कुमार वगेरह प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.08.2017 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि राजस्व कैम्प बडौद में शिविर प्रभारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.5.2015 को सूरजमल पुत्र श्री देवीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि खाता संख्या 84 में सूरजमल हिस्सा 1/2 व सतीशचन्द, हरिशचन्द्र, शशिकान्त पुत्रान सूरजमल 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थी काबिज है। अर्थात उक्त प्रार्थना पत्र / वाद पत्र न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अरूण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया था ना ही उसके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी ना ही कोई बयान कराये गए थे ना ही अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई नोटिस जारी किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 10.6.2015 को प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के विपरीत तहसीलदार महोदय द्वारा रिपोर्ट अंकित कर दी गयी एवं दिनांक 10.6.2015 को ही विद्वान शिविर प्रभारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट के नीचे अंकित कर दिया गया कि ''वाद धारा 88 दर्ज हो। वाद स्वीकार हो।'' इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान

किए बिना राजस्व कैम्प में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर उक्त प्रार्थनापत्र को वाद में दर्ज कर स्वीकार करने के आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपील को खारिज करने में त्रुटि कारित की है, उनका यह भी तर्क है कि मृतक प्रत्यार्थी संख्या– 3 सूरजमल द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 01.02.2018 को संपूर्ण आराजी की वसीयत निष्पादित की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि बन्दोबस्त विभाग ने वादग्रस्त आराजी में सूरजमल के तीन वारिसान का नाम दर्ज कर दी और एक पुत्र अरूण का नाम दर्ज नहीं किया और सूरजमल ने कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पत्ति में बराबर – बराबर का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है और अपीलीय न्यायालय द्वारा भी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि होने से सूरजमल संपूर्ण आराजी की वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में नहीं कर सकते थे। विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि होने से चारों भाईयों का बराबर हक व हिस्सा निहित है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री बहाल रखा जावे ।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक प्रत्यर्थी संख्या– 3 सूरजमल ने शिविर प्रभारी अधिकारी, राजस्व कैम्प बडौद के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पैतृक भूमि खसरा नंबर 662 रकबा 6.78 है0 बाबत् तीन पुत्रों के साथ चौथे पुत्र अरूण कुमार का भी नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को राजस्व कैम्प में अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दर्ज कर ‘‘वाद स्वीकार हो’’ का आदेश दिनांक 10.06.2015 को पारित कर दिया और उसकी पालना में डिक्री बउनवानी अरूण कुमार वादी बनाम सूरजमल व अन्य प्रतिवादी अंकित करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना लोक अदालत में उक्त डिक्री पारित की गयी है और अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। जहां तक अपीलार्थी के पक्ष में पक्षकारान के

पिता सूरजमल वल्द देवीलाल द्वारा वसीयत निष्पादित किए जाने का प्रश्न है। उक्त वसीयत की वैधता/शुद्धता विवादित आराजी पैतृक भूमि है अथवा नहीं और संपूर्ण आराजी की वसीयत सूरजमल कर सकता है अथवा नहीं और वसीयत कब निष्पादित हुई आदि सभी प्रश्न विचारण न्यायालय के समक्ष उठाये जा सकते है, जिसका विचारण न्यायालय विधिनुसार निस्तारण करेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किए गए है जो अपास्त किए जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8– परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–329/2015 बउनवानी सतीश बनाम अरूण कुमार में पारित निर्णय दिनांक 04–08–2017 एवं विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत कैम्प कोटडादीप सिंह द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए एवं उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9– पक्षकारान को जरिए अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 10.10.2024 को विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा के न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य